न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 246/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

आई के एफ फाईनेन्स लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री अभिषेक जांगिड **शाखा कार्यालयः**–236–237, थर्ड फ्लोर, एसडीसी मोनार्च, आम्रपाली मार्ग, वैशाली नगर जयपुर

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **मैसर्स जीतू मावा भण्डार जरिये प्रोपराईटर तुलछा राम राजपुरोहित** शॉप नं. 5, डोलियों का बास बजाज रोड़ नियर कृष्णा पोहा सेन्टर गांव सीकर तहसील व जिला सीकर
2. **तुलछाराम राजपुरोहित पुत्र किशना राम**
   प्रथम पताः–नर्बदा रेजीडेन्सी, फ्लेट न. 20 बिहारी मार्ग गुलाबी देवी स्कूल के पास वाली गली, सीकर
   द्वितीय पताः–वार्ड न. 1 रेवाड़ा गांव बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर
3. **मंजु कंवर पत्नी तुलछाराम राजपुरोहित**
   प्रथम पताः–नर्बदा रेजीडेन्सी, फ्लेट न. 20 बिहारी मार्ग गुलाबी देवी स्कूल के पास वाली गली, सीकर
   द्वितीय पताः–वार्ड न. 1 रेवाड़ा गांव बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 09 फरवरी, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री राकेश शर्मा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **मैसर्स जीतू मावा भण्डार जरिये**

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

प्रोपराईटर तुलछा राम राजपुरोहित, तुलछाराम राजपुरोहित पुत्र किशना राम व मंजु कंवर पत्नी तुलछाराम राजपुरोहित की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थीगण के स्वामित्व की बंधक **अचल सम्पत्ति शॉप न. 5 (बिना छत) ग्राउण्ड फ्लोर, सुर्य महल काम्पलेक्स वाके सूर्य मन्दिर रोड़ डोलियों का बास बजाज रोड़ तहसील व जिला सीकर** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 120.83 वर्गफीट** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– उतर दिशा में शॉप न. 6, दक्षिण में शॉप न. 4, पूर्व दिशा में 30 फीट चौड़ा रास्ता एवं पश्चिम दिशा में पार्किंग सूर्य महल है। उक्त सम्पत्तियों को बंधक रखकर **कुल ₹27,00,000/– रूपये (अक्षरे रूपये सताईस लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **31.07.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगणों की ओर से वकील श्री पंकज सैनी उपस्थित हुए परन्तु बकाया ऋण के भुगतान से संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **31.07.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **मैसर्स जीतू मावा भण्डार जरिये प्रोपराईटर तुलछा राम राजपुरोहित, तुलछाराम राजपुरोहित पुत्र किशना राम व मंजु कंवर पत्नी तुलछाराम राजपुरोहित** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थीगण के स्वामित्व की बंधक **अचल सम्पत्ति शॉप न. 5 (बिना छत) ग्राउण्ड फ्लोर, सुर्य महल काम्पलेक्स वाके सूर्य मन्दिर रोड़ डोलियों का बास बजाज रोड़ तहसील व जिला सीकर** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 120.83 वर्गफीट** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– उतर दिशा में शॉप न. 6, दक्षिण में शॉप न. 4, पूर्व दिशा में 30 फीट चौड़ा रास्ता एवं पश्चिम दिशा में पार्किंग सूर्य महल है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **09 फरवरी, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)